



सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX
हैदराबाद- I आयुक्तालय HYDERABAD-I COMMISSIONERATE

केन्द्रीय शुल्क भवन, लाल बहादुर स्टेडियम रोड, बशीर बाग हैदराबाद 500004
KENDRIYA SHULK BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD- 500 004

☎ - 040-23212072 (Telefax)

व्यापार सुविधा सं. **Trade Notice No. 12/2012 (RTI)**

तारीख **Date : 17.10.2012**

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005- हैदराबाद 1 आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के अपीलीय अधिकारी का पदनाम.

Sub: Right to Information Act 2005-Designation of Appellate Authority in the Jurisdiction of Hyderabad-I Commissionerate


श्री संजय राठी, अपर आयुक्त के सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर हैदराबाद 1 आयुक्तालय में कार्यभार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप हैदराबाद 1 आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के सभी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम और पता सभी संबंधितों की सूचना के लिए नीचे दिया जा रहा है।

Consequent to the assumption of charge of Sri. Sanjay Rathi as the Additional Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad-I Commissionerate, it is hereby brought to the notice of all concerned that the name, designation and the address of the Appellate Authority under the RTI Act 2005 in respect of all the CPIO's in the jurisdiction of Hyderabad-I Commissionerate is as follows:

श्री संजय राठी	Shri. Sanjay Rathi
अपर आयुक्त,	Additional Commissioner
सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,	Customs and Central Excise,
हैदराबाद 1 आयुक्तालय	Hyderabad-I Commissionerate
केन्द्रीय शुल्क भवन, एल बी स्टेडियम,	Kendriya Shulk Bhavan, L.B.Stadium,
बशीर बाग, हैदराबाद - 500 004	Basheerbagh, Hyderabad- 500 004.

पुनः यह भी सूचित किया जाता है कि किसी भी कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के छुट्टी पर रहने पर उक्त कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार देखने वाला अधिकारी नियमित अधिकारी के छुट्टी से लौटने तक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के कार्यों को भी देखेंगे।

It is further informed that, in case the CPIO of a particular office is on leave, the officer holding additional charge of the said office shall discharge the functions of the CPIO also till the regular officer returns from leave.


(एस एन साहा S.N.SAHA)
आयुक्त COMMISSIONER

वितरण सूची 1 के अनुसार
As per Distribution List-I

(फा. सं. Issued from File C.No. IV/16/58/2012-C.Ex.,Tech.II/Hyd.I से जारी)